

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:- २२१ / FP/UK/ROAD/17679/2016 देहरादून: दिनांक: १८ जुलाई, 2016

सेवा में,

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्बाड़ी मोटर मार्ग के सेतु सहित निर्माण हेतु 1.451 है।
वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक- २२० दिनांक १८-०७-२०१६ के द्वारा पूर्व में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। (प्रति संलग्न) अतः जनहित में प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 5 है। से कम क्षेत्रफल तथा प्रति ५० से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,
[Signature]

(एस०टी०एस० लेखा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/ROAD/17679/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
- अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग/पी०एम०जी०एस०वाई०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- जिलाधिकारी, जनपद-रुद्रप्रयाग।
- प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग।

(एस०टी०एस० लेखा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम: जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्बाड़ी मोटर मार्ग के सेतु सहित निर्माण हेतु 1.451 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग में 1.451 है० राजस्व वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग तथा वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 5 है० से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है० 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस०० लेप्चा भा.व.से.)
प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि संरक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि : १४ / 07 / 2016

स्थान : देहरादून

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक— २२० / FP/UK/ROAD/17679/2016 देहरादून:दिनांक: १८ जुलाई, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून।


विषय:—जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत नागजग्झ—फेगू—बरम्बाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.451 है0 वन भूमि
का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन फाईल संख्या— FP/UK/ROAD/17679/2016)

संदर्भ:—भारत सरकार की पत्र संख्या— Misc/II/ROC/COP/1/2013/1846 दिनांक 06—11—2015.

महोदय,

भारत सरकार के उक्त पत्र के अनुपालन में विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कापी की
एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के
अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न:—यथोपरि।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेखा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी।

संख्या / FP/UK/ROAD/17679/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(एस0टी0एस0 लेखा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी।